2 **नगरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण योजनाः–** इस योजना के अन्तर्गत शहरी गरीब बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, स्थानीय कौशल एवं हस्तकला में 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षाणार्थियों की आय में बढोत्तरी हो सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा स्वीकृत मानदेय की वित्तीय सहायता एवं टूलकिट निःशुल्क प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य शहरी गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वलाम्बन की भावना को जाग्रत करना है। आवेदन पत्र का प्रारूप अगले पृष्ठ पर देखा जा सकता है।